Ap
Cr

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय SDO मुकाम राशमी

गोपाल सिंह बनाम रूप सिंह

किस्म मुकदमा 251 (क) नं. 208 सन् 202

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त... अहकाम ज... हुक्म की त... में जारी ...
18/10/21	प्रा० पत्र प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 शिविर अड़ाना में तहसीलदार राशमी के पत्रांक/राजस्व/2021/SP-1 दिनांक 18/10/21 से पेश हुआ। मिसल दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार राशमी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण गोपाल सिंह पिता कालु सिंह चौहान एवं रूप सिंह पिता कालु सिंह चौहान नि० चपरवाड़ी अपनी स्वयं की खातेदारी आराजी ख० 410/4 एवं 410/5 में आपसी सहमति से रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं। उक्त दोनों पक्ष आपसी सहमति से रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है जिस हेतु तहसीलदार राशमी द्वारा अपनी अनुशंषा की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया। मनन किया। तहसीलदार राशमी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार राशमी द्वारा मौखिक निवेदन किया गया। दोनों पक्षकारान द्वारा भी सहमति प्रकट की गई कि राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में न्यायालय आदेश [illegible] मौजा चपरवाड़ी पटवार [illegible] ख० 410/4 रकबा 0.1065	

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.10.20 12:57:36 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
	के रूप में किया जावे। प्रस्तावित मौका स्थिति के अनुरूप रास्ता नक्शा में आवश्यक तरमीम की जावे। जमाबंदी की गणना नियमित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार जमा की जावे। निर्णय खुले मजलिस आज पक्षकारान मौके के लोग अभिभाषकगण कैम्प अदालत के आज दिनांक 18/10/2021 को सुनाया जाकर लिखवाया गया। (नीता वसीटा) सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राशमी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.10.20 12:57:36 IST
Reason: SelfAttested